


16-1-23 पंजाब की सरकार / का 2-का 2 आचार्य सिन्हा
जपी. वकील अमीर या अमीर को
उपस्थित किये हुए ।

अतः यह वाक्य अन्तर्गत धारा-12
अनुसार आवश्यकता अनुसार एचएच में रोकटिक
विधायकता है । पंजाब की सरकार द्वारा एचएच
में रोकटिक किये


सहायक-अधीनस्थ अधिकारी
पिंजौर